

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जून 2021—ज्येष्ठ 13, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जून 2021

क्र. एफ-ए-3-33-2017-1-पांच-(35).—मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-03-32-2017-1-v(72) दिनांक 21 जुलाई 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

- (क) क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में, शर्त में, मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) के समक्ष, चौथे परंतुक में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जायेगा, यथा:—
- (iii) “भू-स्वामी-प्रमोटर उस टैक्स के क्रेडिट का उपयोग टैक्स भुगतान के लिए करने का पात्र होगा, जो डेवलपर-प्रमोटर द्वारा उस अपार्टमेंट के निर्माण की आपूर्ति पर लगाया गया हो, जिसकी सप्लाई भू-स्वामी-प्रमोटर द्वारा की जानी है.”;
- (ख) क्रम संख्या 25 में,
- (i) कॉलम (3) में, मद (i क) के पश्चात और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
“(iख), जहाज या अन्य जलयान, उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट्स से संबंधित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिंग की सेवाएं.	2.5	—”

- (iii) कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द, कोष्ठक और अंक और अक्षर “और (i क)” के स्थान पर कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द, “(iक) और (iख)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

2. यह अधिसूचना दिनांक 02 जून 2021, से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2021

क्र. एफ-ए-3-33-2017-1-पांच-(35).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ-ए-3-33-2017-1-पांच-(35), दिनांक 3 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd June 2021

No. F-A-3-33-2017-1-V (35).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15, sub-section (1) of Section 16 and Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification no. FA-3-32-2017-I-V(41) dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,—

- (a) in serial number 3, against items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) in column (3), in the conditions in column (5), in the fourth proviso, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely—
- “(iii) the landowner-promoter shall be eligible to utilise the credit of tax charged to him by the developer-promoter for payment of tax on apartments supplied by the landowner-promoter in such project.”;
- (b) in serial number 25,—
- (i) after item (ia) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely—

(3)	(4)	(5)
“(ib) Maintenance, repair or overhaul services in respect of ships and other vessels, their engines and other components or parts.	2.5	-”

- (ii) in item (ii) in column (3), for the word, brackets, “figures and letter “and (ia)”, the brackets, figures, letter and word “(ia) and (ib)” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 2nd June 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.